सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 423/17 **निर्णय दिनांकः 5.01.2018**

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी राऊटीबा तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31–12–1986
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31–12–1986 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद श्रेणी का रकबा होने के कारण खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 डीएल के मुरब्बा नम्बर 148/19 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 148/27 की 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। जिसका पट्टा अर्थात आवंटन आदेश भी अदालत मातहत द्वारा जारी कर दिया गया। उक्त भूमि विवादित डबल आवंटन होने के बाद अपीलांट को पुनः चक 1 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 226/17 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 226/28 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल तादादी 50 बीघा भूमि का भूमिहीन के तौर पर आवंटित की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि विशेष आवंटन के गजट में आरक्षित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है व नाही अपीलांट को भूमिहीन/सामान्य श्रेणी का अन्यत्र आवंटन किया गया है। अपीलांट का आवंटन व पात्रत आज दिनांक तक बहाल है। अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित है। इसलिए अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे।

चूंकि अपीलांट बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपील अंदर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि विशेष आवंटन के गजट में आरक्षित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट ने अपील मिंयाद बाहर पेश की है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—12—1986 के विरूद्व अपील 21—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। राज्य द्वारा काऊन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को भूमिहीन/सामान्य श्रेणी के आवंटन में विशेष आवंटन की गजट की भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पूर्व में चक 4 डीएल के मुरब्बा नम्बर 148/19 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 148/27 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि विवादित व डबल आवंटन होने के कारण अदालत मातहत द्वारा पुनः अपीलांट को तहसील पूगल के चक 1 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 226/27 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 226/28 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया व आराजी जैर का आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही विशेष आवंटन के गजट में आरक्षित भूमि थी।

(3) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा के बाद जॉच ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को किया गया है।

(4) पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को पूर्व में भूमिहीन के तौर पर चक 4 डीएल के मुरब्बा नम्बर 148/19 व 148/27 की 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया व उक्त आवंटन इस आधार पर निरस्त किया गया कि उक्त भूमि वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि है। तत्पश्चात् अपीलांट को पुनः भूमिहीन के तौर पर ही चक 1 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 226/27 व 226/28 की 50 बीघा भूमि आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि भी विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दो बार भूमिहीन के तौर पर आवंटन किया गया व दोनों ही बार ऐसी भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है जिसका कब्जा उसे प्राप्त नहीं हो सकता था। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भली—भांति जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर जिसका आवंटन किया जा रहा है वह विशुद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में पटवारी रिपोर्ट या रिकार्ड का अवलोकन किया जाना अपरिहार्य नहीं समझा। यह एक घोर अन्याय व विभागीय लापरवाही का उदाहरण है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही कि आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध ना होते हुए भी अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत

मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरूद्व हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को पूर्व में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(7) अपीलांट का आवंटन बतौर भूमिहीन के बजाय विशेष आवंटन के गजट की भूमि का किया जाना साबित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता कायम है। चूंकि अपीलांट को विशेष आवंटन के गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 7 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–12–1986 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर